न्यायालय- विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

<u>विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2022</u>

सरकार प्रति विकेश उर्फ विकास सिंह

धाराः 504 भा.दं.स

व 3(1) ध एस.सी./एसटी,

थाना अलीनगर, जिला- चन्दौली।

<u>आ रो प</u>

मैं, विनय कुमार सिंह-III, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्त-

1. विकेश उर्फ विकास सिंह

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूॅ :-

प्रथम-यह कि घटना दिनांक 27.04.2022 को समय 8.00 बजे रात्रि स्थान ग्राम खर्रा, थाना अलीनगर, जिला चंदौली आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी-2 गालियॉ देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय-यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने यह जानते हुए कि वादी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर जाति सूचक गाली गलौच किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(ध) एस.सी./एस. टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आप लोगो को निर्देशित करता हूॅ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 27.09.2022ई0

(विनय कुमार सिंह-III)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट

चन्दौली।

आरोप पढ़कर, अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने विरचित आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 27.09.2022ई0

(विनय कुमार सिंह-III)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट

चन्दौली।